



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-72

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 263765 दिनांक 28/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Madhu Devi Goyal W/o Radha Mohan Agrawal एवं Gourang Goyal S/o Bal Gopal Agrawal	श्रीमती हंसा गोयल पत्नि श्री बालगोपाल अग्रवाल एवं श्रीमती मधू देवी गोयल पत्नि श्री राधा मोहन अग्रवाल	9/AE/724	12.50 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block- A	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 9/ए.ई/724 क्षेत्रफल 12.50 वर्ग मीटर की लीजडीड दिनांक 18.03.2013 को श्रीमती हंसा गोयल पत्नि श्री बालगोपाल अग्रवाल एवं श्रीमती मधू देवी गोयल पत्नि श्री राधा मोहन अग्रवाल के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमती हंसा गोयल पत्नि श्री बालगोपाल का दिनांक 12.10.2022 को निधन हो गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का हकत्याग पत्र दिनांक 15.10.2025 को श्री बाल गोपाल अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एवं श्रीमती मंजरी गोयल पत्नि श्री संदीप गोयल पुत्री बाल गोपाल अग्रवाल को कर दिया गया। आवेदिका द्वारा उक्त भूखण्ड का लीजडीड फ्री-होल्ड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
---	--	---	----------	--------------------	-----	---	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Madhu Devi Goyal W/o Radha Mohan Agrawal एवं Gourang Goyal S/o Bal Gopal Agrawal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |